

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 79/2022

पीठारसीन अधिकारी - राजकेश गीना (आर.ए.एस.)

- उपखण्ड
- 1 कालू पिता बैजनाथ जाट उम वयरक निवारी रामपुरा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
 - 2 छोदू पिता बैजनाथ जाट उम वयरक निवारी रामपुरा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
 - 3 रामेश्वर पिता बैजनाथ जाट उम वयरक निवारी रामपुरा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा

----- (प्रार्थी)

- यनाग
- 1 चन्द्रकान्ता पत्नि ताराचन्द हेडा उम वयरक निवारी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
 - 2 प्रहलाद पिता गंगाराम जाट उम वयरक निवारी रामपुरा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
 - 3 सोकरण पिता गंगाराम जाट उम वयरक निवारी रामपुरा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
 - 4 धीसा पिता माधू गुर्जर उम वयरक निवारी रामपुरा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
 - 5 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री विजय पाराशर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

----- (अप्रार्थीगण)

निर्णय

दिनांक - 10.05.2023


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 29.04.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम रामपुरा पटवार मण्डल रामपुरा भू.अ.नि. फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 214 के आ.न. 964 रकबा 0.51 हैक्टर, एवं खतौनी संख्या 216 के आ.न. 963 रकबा 0.52 हैक्टर, नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.05.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रामपुरा पटवार मण्डल रामपुरा भू.अ.नि. फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 214 के आ.न. 964 रकबा 0.51 हैक्टर, एवं खतौनी संख्या 216 के आ.न. 963 रकबा 0.52 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक फूलियाकलां को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजियात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजकेश गीना)
उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां, जिला भीलवाड़ा